सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोबस्ती हेतु अति अल्पकालीन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 193(9)/रा0, दिनांक 03.08.2021 के आलोक में निम्नांकित विवरण के सैरातों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष-2021-22 (1 सितम्बर, 2021 से शेष अवधि हेतु) के लिए दिनांक 31.08.2021 को पूर्वाहन् 11:00 बजे से अपर समाहर्त्ता, सारण, छपरा के कार्यालय प्रकोष्ठ में खुले डाक के माध्यम से निम्न शर्तो के अन्तर्गत किया जायेगा। किसी कारणवश निर्धारित तिथि को अंकित सैरातों की डाक नहीं होने के स्थिति में अंकित सैरातों की बन्दोबस्ती पुनः 01.09.2021 को उपर्युक्त निर्धारित स्थान एवं समय पर किया जायेगा।

क्रमांक	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	सैरात का नाम	अनुपाति सुरक्षित जमा की राशि (1 सितम्बर, 2021 से शेष अवधि के लिए)
1	2	3	4	5
1.	सदर अनुमंडल, छपरा	नगरा	कादीपुर, नगरा बाजार	11,05,784.00
2.	सोनपुर अनुमंडल	सोनपुर	दुधैला बाजार	429,489.00

1. डाक में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है। डाक प्रारम्भ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जमा कराना होगा।
2. डाक वक्ताओं को डाक में भाग लेने के समय अपने संबंधित अंचल अधिकारी से पूर्व वर्षो के बकाया रहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. डाक की समाप्ति के पश्चात् सफल डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा कराना होगा।
4. सफल डाकवक्ता को नियमानुसार निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा।
5. सफल डाकवक्ता को निर्धारित दर पर ही टॉल की वसूली करनी होगी।
6. डाकवक्ता को आचरण प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. बन्दोबस्ती की कार्रवाई निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 193(9)/रा0, दिनांक 03.08.2021 के आलोक में की जा रही है।
8. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये बन्दोस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

23.8.21

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

Letter Nikhil Assistant

ज्ञापांक 1863/रा0, दिनांक 23/08/2023

प्रतिलिपि : निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, पटना एवं मुजफ्फरपुर को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा एवं सोनपुर / उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, छपरा एवं सोनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना की प्रति सभी संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुए जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, नगरा एवं सोनपुर को आम सूचना की पाँच-पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना की प्रति पूर्व बन्दोबस्तदार को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि डाक की निर्धारित तिथि को अपने नाजिर को रसीद बुक के साथ प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि बन्दोबस्ती राशि, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क जमा कराया जा सकें।

23.8.24

समाहर्त्ता,

सारण, छपरा।

Letter Nikhil Assistant